

जिलाधिकारी, लखनऊ।
(कौशलराज शर्मा)

अतः मैंने अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का आधिकार (उत्तर प्रश्न) नियमावली 2016" के नियम 8 के अनुसार, उ0प्र0 एकसूत्रिय औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडी, लखनऊ द्वारा संचालित पूर्वावल एकसूत्रिय व (मीनफोल्ड परियोजना) हेतु प्रस्तावित मैंने में हिल रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह निरि विकस अख्यन स्थान, लखनऊ सामाजिक समाघाल आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघाल प्रख्यन योजना के समन्ध में बहू-शाखीय विशेषण समूह को साध-साध जिले की वेबसाइट पर अवलोकित कर सकते हैं।

उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ व तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ के साथ (40340-11), नगर महापालिका-प्रथम, 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ के साथ की मूल्यांकन आख्या दि0 11-12-2018 का अवलोकन, कार्यालय अपर जिलाधिकारी की मूल्यांकन (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघाल प्रख्यन योजना के समन्ध में बहू-शाखीय विशेषण समूह विकस अख्यन स्थान, लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघाल आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघाल प्रख्यन योजना का मूल्यांकन बहू-शाखीय विशेषण समूह को साध-साध जिले की वेबसाइट पर अवलोकित कर सकते हैं। लोक सुनवाई की गयी है। लोक सुनवाई के समय प्राप्त आपत्तियों को समाहित करते हुए निरि प्रख्यन योजना पर उप जिलाधिकारी सदर/संरजननगर, लखनऊ द्वारा दि0 7 व 8 जून को अनुसर सामाजिक समाघाल आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघाल पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का आधिकार (उत्तर प्रश्न) 2016" के प्रतिकर एवं पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम 2013" एवं मैंने अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रस्तावित मैंने के अर्जन से पूर्व "मैंने अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लखनऊ में दी रेल परियोजना हेतु 4

पत्रांक : 703 / अ.जि.अ.(मं.अ.)न.म.प.-1, लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर 2018

कापालय : जिला कलेक्टर, लखनऊ

: सावधानिक सूचना :